भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4058

17 03.2026.को उत्तर के लिए नियत

बिहार में पी.एल.आई के लाभार्थी

4058. श्री अभय कुमार सिन्हाः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑटोमोबाइल, ऑटो-पार्ट्स, व्हाइट गुड्स अथवा अन्य भारी उद्योग क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों की वर्ष-वार तथा जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या किसी कंपनी ने उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत औरंगाबाद में विनिर्माण इकाई स्थापित की है या स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में उद्योग क्षेत्र की पीएलआई परियोजनाओं के माध्यम से अब तक सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा बिहार में व्यापक स्तर पर अत्यधिक निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण (एसीसी) कार्यक्रम संबंधी पीएलआई स्कीम तथा व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम के संदर्भ में बिहार राज्य (औरंगाबाद सहित) में कोई भी विनिर्माण इकाई/लाभार्थी स्थित नहीं है।

(घ) और (ङ): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा पूरे देश (बिहार सहित) में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) पीएलआई- ऑटो स्कीम को 23.09.2021 को ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से ₹25,938 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम कम से कम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) सहित एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण संवर्धन और ऑटोमोबिल विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(ii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण (एसीसी) कार्यक्रम संबंधी पीएलआई को 12.05.2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा एसीसी बैटरियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iii) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम' (एसपीएमईपीसीआई) को दिनांक 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था।

(iv) भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम- चरण-II: पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में विनिर्माण अवसंरचना के विस्तार और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, इस मांग आधारित स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****